भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 816

06/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की क्षति

816. श्री संदोष कुमार पी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के नुकसान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के नुकसान के लिए किसानों को दिए गए मुआवजे के पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के नुकसान के लिए राज्य-वार आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): फसल हानि संबंधी जानकारी केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें प्रभावितों को राहत सहायता का वितरण भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारें अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत राज्यों को आवंटित और जारी की गई निधि का विवरण **ndmindia.mha.gov.in** पर उपलब्ध है।

फसल क्षति से पीडित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने खरीफ 2016 सीजन से देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की, जिसे क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर कार्यान्वित किया गया। यह योजना अनाज, मिलेट्स, दलहन या तिलहन तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर कटाई पश्चात तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। यह योजना बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, शुष्क मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग/बिजली, आंधी, चक्रवात, तूफान, आंधी, और बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि, स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) तथा चक्रवात, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करती है। दिनांक 31.12.2025 तक, योजना की शुरुआत से अब तक दावों के रूप में 1,92,477.3 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसमें पिछले तीन वर्षों में वितरित 54,883.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत संयुक्त रूप से भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (दिनांक 31.12.2025 तक)

(रु. करोड़ में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.02	0.03
आंध्र प्रदेश	611.79	120.28	19.86
असम	20.09	62.83	90.47
बिहार	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	534.26	588.43	270.00
गोवा	0.00	0.00	0.01
गुजरात	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	2526.72	283.96	339.31
हिमाचल प्रदेश	68.04	140.39	5.73
जम्मू एवं कश्मीर	6.34	34.78	26.45
झारखंड	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	2388.47	3367.33	2809.12
केरल	180.52	166.16	0.00
मध्य प्रदेश	1050.09	965.34	1293.64
महाराष्ट्र	5419.35	9586.35	5774.76
मणिपुर	1.64	2.00	1.65
मेघालय	0.01	14.49	9.51
ओडिशा	581.74	233.46	152.65
पुदुचेरी	3.55	1.87	4.28
राजस्थान	4366.74	3663.84	1899.11
सिक्किम	0.00	0.00	0.01
तमिलनाडु	919.73	761.64	765.33
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	2.03	1.92	0.51
उत्तर प्रदेश	985.38	469.93	427.01
उत्तराखंड	207.72	347.55	307.06
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
कुल	**19874.20**	**20812.55**	**14196.53**
कुल योग	**19874.20 रुपये + 20812.55 रुपये + 14196.53 रुपये = 54883.28 रुपये**		
